



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0ब0-50/2016-589 दिनांक : 21.06.2019

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल/ लातेहार वन प्रमण्डल/  
गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल/ गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल/ गोड्डा वन  
प्रमण्डल/ देवघर वन प्रमण्डल/ जामताड़ा वन प्रमण्डल/ चतरा उत्तरी वन  
प्रमण्डल/ चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल/ कोडरमा वन प्रमण्डल/ हजारीबाग  
पश्चिमी वन प्रमण्डल/ हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल/ रामगढ़ वन प्रमण्डल/  
बोकारो वन प्रमण्डल/ धनबाद वन प्रमण्डल/ गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल/  
गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल/ जमशेदपुर वन प्रमण्डल

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित में की जाने वाली "सिल्विकल्चर  
ऑपरेशन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक  
पुनर्जनन, जल एवं भू-संरक्षण कार्य का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) हेतु कुल  
रु0 39.634 लाख (उनचालीस लाख तिरसठ हजार चार सौ रुपये) मात्र  
राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट-24/2017-10/स्वी0 व0प0  
दिनांक 26.05.2017 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-24/  
2017-43/आ0 व0प0 दिनांक 17.05.2019।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य  
शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-101 वन संरक्षण,  
विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-40 सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष  
2019-20 में स्वीकृत एवं आवंटित राशि के अधीन कुल रु0 39.634 लाख (उनचालीस  
लाख तिरसठ हजार चार सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया  
जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101400103	39.634
कुल :-		39.634

2.

इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन  
प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालय के कार्यों  
के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को  
अवगत करेंगे। कार्यदर तालिका अनुलग्नक-2 एवं ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति  
अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।



3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601101400103 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में उप आवंटन के कंडिका-5 में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए Photography/ Videography करवाई जायेगी, ताकि वनों के प्राकृतिक पुर्नजनन विधि से करवाये गये कार्यों से वनों के घनत्व में आये परिवर्तन को देखा जा सके।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।
8. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम सं0-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।
10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजना एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृति राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री क्रय का भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।





13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जायेगी।

14. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

16. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-50/2016-589

दिनांक-21.06.2019

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/ दुमका/ हजारीबाग/ बोकारो/ जमशेदपुर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/ लातेहार/ दुमका/ देवघर/ चतरा/ हजारीबाग/ बोकारो/ गिरिडीह/ जमशेदपुर/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-50/2016-589

दिनांक-21.06.2019

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर/ लातेहार/ गढ़वा/ गोड्डा/ देवघर/ जामताड़ा/ चतरा/ कोडरमा/ हजारीबाग/ रामगढ़/ बोकारो/ धनबाद/ गिरिडीह/ जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची



वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जानेवाली "सिल्विकल्चर ऑपरेशन" योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत वनों का संवर्धन, प्राकृतिक पुर्नजनन, जल एवं भू संरक्षण कार्य का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) हेतु प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र० सं०	प्रमंडल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे० में)	मजदूरी 1823.76	आपूर्ति एवं सामग्री 0.00	कुल 1823.76
i	ii	iii	iv	v	vi
रीजन का नाम:- मेदिनीनगर, पलामू					
1	मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	100	1.824	0.000	1.824
2	लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार	100	1.824	0.000	1.824
3	गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा	100	1.824	0.000	1.824
4	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा	100	1.824	0.000	1.824
योग		400	7.296	0.000	7.296
रीजन का नाम:- दुमका					
1	गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा	150	2.736	0.000	2.736
2	देवघर वन प्रमंडल, देवघर	100	1.824	0.000	1.824
3	जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा	50	0.912	0.000	0.912
योग		300	5.472	0.000	5.472
रीजन का नाम:- हजारीबाग ।					
1	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	150	2.736	0.000	2.736
2	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	100	1.824	0.000	1.824
3	कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा	50	0.912	0.000	0.912
4	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग	100	1.824	0.000	1.824
5	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	100	1.824	0.000	1.824
योग		500	9.120	0.000	9.120
रीजन का नाम:-बोकारो ।					
1	रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़	100	1.824	0.000	1.824
2	बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो	250	4.559	0.000	4.559
3	धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद	100	1.824	0.000	1.824
4	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह	150	2.736	0.000	2.736
5	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह	150	2.736	0.000	2.736
योग		750	13.679	0.000	13.679
रीजन का नाम:- जमशेदपुर					
1	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	223	4.067	0.000	4.067
योग		223	4.067	0.000	4.067
सकल योग		2173	39.634	0.000	39.634

विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या 04/यो0बजट-24/2017-10/स्वी0 व0प0 दिनांक 26.05.2017

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

## योजना का नाम : सिल्विकल्चरल ऑपरेशन योजना का दर निर्धारण

(औसतन 10%-25% वृक्ष/रुट स्टॉक विहीन खुले वन क्षेत्र हेतु)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु० में) : 249.83

कार्य दर प्रति हे०

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
(A)	संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष)					
1	सुरक्षा एवं संपोषण	7.30	1823.76	0.00	1823.76	घेरान, कंटूर ट्रेंच की मरम्मत, रोपित पौधे एवं बीज से उपजे पौधों की कोड़नी निकौनी/कॉपिस/कटबैक/सिंगलिंग
	योग-	7.30	1823.76	0.00	1823.76	

नोट:-

1. प्रत्येक वनरोपण स्थल पर स्थल आवश्यकतानुसार प्रस्तावित कार्यों का प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति पश्चात् कार्य संपादित किए जायेंगे।
2. इन कार्यों को करने के क्रम में कदापि किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा।

प्रधान-मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची



चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-50/2016/589

दिनांक - 21-Jun-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	35469	PLMFOR070  KUMAR ASHISH IFS  D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	182,400.00  रुपये एक लाख बयासी हजार चार सी
2	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	35470	LTRFOR001  VED PRAKASH KAMBOJ  DFO FOREST DIV LATEHAR	182,400.00  रुपये एक लाख बयासी हजार चार सी
3	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	35471	GRHFWL001  ARVIND KUMAR GUPTA  D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	182,400.00  रुपये एक लाख बयासी हजार चार सी

547,200.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये पाँच लाख सैतालीस हजार दो सौ

  
(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	35472	GRHFWL004  AVIROOP SINHA  D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	182,400.00  रुपये एक लाख बयासी हजार चार सौ
5	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	35473	GDDFOR164  ARVIND KUMAR  DFO GODDA FOREST DIVISION	273,600.00  रुपये दो लाख तीहत्तर हजार छः सौ
6	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	35474	DGRFORE88  PREMJIT ANAND  DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	182,400.00  रुपये एक लाख बयासी हजार चार सौ

योग:

638,400.00

क्रमिक योग:

रुपये ग्यारह लाख पचयासी हजार छः सौ

1,185,600.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI



क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवर्तित राशि
7	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविलिकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	35475	JMTFOR001 SUSHIL SOREN. D.F.O. JAMTARA	91,200.00 रुपये इनकानवे हजार दो सौ
8	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविलिकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	35476	CTRFOR002 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	273,600.00 रुपये दो लाख तीहत्तर हजार छः सौ
9	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविलिकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	35477	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	182,400.00 रुपये एक लाख बयासी हजार चार सौ

योग:

547,200.00

क्रमिक योग:

रुपये सत्रह लाख बत्तीस हजार आठ सौ

1,732,800.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI



क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	35478	KDMFORA01  SURAJ KUMAR SINGH  D.F.O. KODERMA	91,200.00  रुपये इनकानवे हजार दो सौ
11	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	35479	HZBFWL005  PATRUNI RAJENDRA NAIDU D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV, HZB	182,400.00  रुपये एक लाख बयासी हजार चार सौ
12	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	35480	HZBFWL009  SMITHA PANKAJ  DIV. FOREST OFFICE EAST	182,400.00  रुपये एक लाख बयासी हजार चार सौ

योग:

456,000.00

क्रमिक योग:

रुपये इक्कीस लाख अठ्यासी हजार आठ सौ

2,188,800.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	35481	HZBFOR001  DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	182,400.00  रुपये एक लाख बयासी हजार चार सौ
14	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	35482	BKRFOR001  RAVINDRA NATH MISHRA D F O. BOKARO	455,900.00  रुपये चार लाख पचपन हजार नौ सौ
15	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	35483	DHNFOR001  SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	182,400.00  रुपये एक लाख बयासी हजार चार सौ

योग:

820,700.00

क्रमिक योग:

रुपये तीस लाख नौ हजार पाँच सौ

3,009,500.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI



क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	35484	GRDFOR001 RAJKUMAR SAH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	273,600.00 रुपये दो लाख तीहत्तर हजार छः सौ
17	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	35485	GRDFOR003 MS. MAMTA PRIYDARSHI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	273,600.00 रुपये दो लाख तीहत्तर हजार छः सौ
18	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	35486	JSRFOR051 SRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	406,700.00 रुपये चार लाख छः हजार सात सौ

योग:

953,900.00

क्रमिक योग:

रुपये उनचालीस लाख तीसठ हजार चार सौ

3,963,400.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI